PL issue and
20/02/2018

GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार)
MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)
(RAILWAY BOARD)

****

No.2007/TG-I/20/P Pt.II **New Delhi, Dated: 15.02.2018**

The Principal Chief Commercial Managers,
All Zonal Railways.

Managing Director,
CRIS, Chanakyapuri,
New Delhi.

(COMMERCIAL CIRCULAR NO. 13 OF 2018)

Sub: Earmarking of reservation quota for women.

At present, following reserved accommodation is earmarked for use of female passengers:-

(a) In Sleeper Class coach reservation quota of 6 berths in Mail/Express trains for ladies irrespective of age travelling alone or in a group of female passengers.

(b) In all trains having reserved sleeping accommodation, a combined quota of six lower berths per coach in Sleeper class and 3 lower berths per coach each in AC 3 tier and AC-2 tier classes for Senior Citizens, Female passengers of 45 years of age and above and pregnant women. In case of Rajdhani, Duronto and fully Air Conditioned/Express trains, the number of berths to be earmarked under this quota in 3AC is 4 lower berths per coach as against 3 lower berths per coach in normal Mail/Express trains.

2. The issue regarding earmarking of ladies quota in 3AC class of Garib Rath Express trains has been examined and it has been decided to earmark a reservation quota of 6 berths in 3AC class of these trains for exclusive use of female passengers irrespective of their age while travelling alone or in group of female passengers.

3. It has also been decided to modify the logic of utilising accommodation earmarked under ladies quota as under:-

(i) Till preparation of first reservation charts, only female passengers travelling alone or in group of female passengers will be booked against this quota.

रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड / Railway Board
अनुलग्नक सहित जारी Issued with Enclosure
हस्ताक्षर Signature..........
जारी की तिथि Date of Issue..........

o/c

(ii) However, at the time of preparation of first reservation charts, the unutilised quota earmarked for female passengers will be released to waiting list female passengers travelling alone or in group of female passengers followed by waiting list senior citizens.

(iii) If there are no such passengers and berths are left vacant, onboard ticket checking staff shall be authorised to allot this accommodation to any other lady passenger/senior citizen on partially confirmed ticket, if any after making necessary entries in the reservation chart.

4. CRIS will make necessary modification in the software and advise the date of effect to all Zonal Railways as well as this office.

5. Necessary instructions may be issued to all concerned accordingly.

(Shelly Srivastava)
Director Passenger Marketing
Railway Board

Copy to:

1. CCM/PMs and CCM/PSs, all.Zonal Railways.
2. EDV(T),EDFC,DF(C),PPS/FC, OSD/TC, F(C) & V(SS) branches of Railway Board.
3. MD/IRCTC,B 148,11th Floor, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi-1.
4. General Manager/PRS-I, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
5. DG, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
6. The Principals, Zonal Railway Training Institutes, Central Railway/Bhusawal, Eastern Railway/Bhuli-Dhanbad, Northern Railway/Chandausi, East Central Railway/Muzaffarpur, NF Railway/Alipurduar, Southern Railway/Trichy, South Central Railway/Moula Ali, SE Railway/Sini, North Western Railway/Udaipur.
7. Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Lucknow-2260011.
8. General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
9. General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
10. Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No. 370, Rail Bhawan, New Delhi.
11. Secretary General, Indian Railways Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
12. Secretary General, All India RPF Association, Room No. 256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
13. CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhawan, 33/1, J.L. Nehru Road, Kolkata-71.

*****

रेल मंत्रालय
Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड /Railway Board
अनुलग्नक सहित जारी
Issue with Enclosure
हस्ताक्षर
Signature....................
जारी की तिथि
Date of issue...............

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

****

सं.2007/टीजी-I/20/पी पार्ट II

नई दिल्ली, दिनांक: 15.02.2018

प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें।

प्रबंध निदेशक,
क्रिस, चाणक्यपुरी
नई दिल्ली।

(2018 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 13)

विषय: महिलाओं के लिए आरक्षण कोटे का निर्धारण।

वर्तमान में, महिला यात्रियों के उपयोग के लिए निम्नलिखित आरक्षित अकोमोडेशन निर्धारित की जाती है:-

(क) मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में अकेली अथवा समूह में यात्रा करने वाली महिलाओं की आयु पर ध्यान दिए बिना शयनयान श्रेणी के कोच में 6 बर्थ का आरक्षण कोटा।

(ख) आरक्षित स्लीपिंग अकोमोडेशन वाली सभी गाड़ियों में, वरिष्ठ नागरिकों, 45 वर्ष एवं उससे अधिक आयु वाली महिला यात्रियों और गर्भवती महिलाओं के लिए शयनयान श्रेणी के प्रत्येक कोच में छह निचली बर्थों और एसी-3 टियर एवं एसी-2 टियर श्रेणियों में प्रत्येक कोच में 3 निचली बर्थों का संयुक्त कोटा। साधारण मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में प्रत्येक कोच में 3 निचली बर्थों की तुलना में राजधानी, दुरंतो और पूर्णतः वातानुकूलित/एक्सप्रेस गाड़ियों में इस कोटे के अंतर्गत 3 एसी में 4 निचली बर्थ चिह्नित की जाएंगी।

2. गरीब रथ एक्सप्रेस गाड़ियों की 3 एसी श्रेणी में महिला कोटा निर्धारित करने के मामले की जांच की गई है और इन गाड़ियों की 3 एसी श्रेणी में, आयु पर ध्यान दिए बिना, अकेली अथवा समूह में यात्रा करने वाली केवल महिलाओं के लिए, 6 बर्थों का आरक्षण कोटा निर्धारित करने का विनिश्चय किया गया है।

3. महिला कोटा के अंतर्गत निर्धारित अकोमोडेशन उपयोग करने के तर्क को भी निम्नानुसार आशोधित करने का विनिश्चय किया गया है:-

(i) पहला आरक्षण चार्ट बनने तक, अकेली अथवा समूह में यात्रा करने वाली केवल महिला यात्रियों के टिकटों की बुकिंग इस कोटे के तहत की जाएगी।

(ii) बहरहाल, पहला आरक्षण चार्ट बनने के समय, महिला यात्रियों के लिए निर्धारित अप्रयुक्त कोटे को अकेली अथवा समूह में यात्रा करने वाली प्रतीक्षा-सूचीबद्ध महिला यात्रियों और उसके पश्चात प्रतीक्षा-सूचीबद्ध वरिष्ठ नागरिकों को जारी कर दिया जाएगा।

-2/-

(iii) यदि ऐसे कोई यात्री नहीं हैं और बर्थें खाली हैं, तो ऑनबोर्ड टिकट चेकिंग स्टॉफ इस अकोमोडेशन को आंशिक कन्फर्म्ड टिकट वाले अन्य महिला यात्री/वरिष्ठ नागरिक, यदि हो, को आरक्षण चार्ट में आवश्यक प्रविष्टियाँ करने के पश्चात देने के लिए प्राधिकृत होगा।

4. क्रिस सॉफ्टवेयर में आवश्यक आशोधन करेगा और इसे सभी क्षेत्रीय रेलों और इस कार्यालय को इसे लागू करने की तारीख सूचित करेगा।

5. तदनुसार सभी संबंधितों को आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएं।

(शैली श्रीवास्तव)
निदेशक यात्री विपणन
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. सीसीएम/पीएम व सीसीएम/पीएस, सभी क्षेत्रीय रेलें।
2. का नि सतर्कता(टी), का नि एफ (सी), निदेशक एफ (सी), पीपीएस/एफसी, वि. का. अधिकारी/टी सी, रेलवे बोर्ड की वित्त (सी) व सतर्कता (एस एस) शाखाएं ।
3. प्रबंध निदेशक/आईआरसीटीसी, बी-148, 11वीं मंजिल, स्टैट्समैन हाउस, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली - 110001.
4. महाप्रबंधक/पीआरएस-I, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
5. महानिदेशक, प्रोफेसर/ प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/ वाणिज्य, रेलवे स्टाफ कॉलेज, वड़ोदरा।
6. प्रिंसिपल, क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/भूली-धनबाद, उत्तर रेलवे/चंदौसी, पूर्व मध्य रेलवे/मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सिनी, उत्तर पश्चिम रेलवे/उदयपुर।
7. निदेशक, भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान, हरदोई बाईपास रोड, मानक नगर, लखनऊ-226011.
8. जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन (एनएफआईआर), 3,चेम्सफोर्ड रोर्ड, नई दिल्ली ।
9. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली।
10. सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे आफिसर्स एसोसिएशन (एफआरओए), कमरा नं 370, रेल भवन, नई दिल्ली।
11. सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी ऑफिसर्स फेडरेशन (आईआरपीओएफ), कमरा नं 268, रेल भवन, नई दिल्ली।
12. सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
13. सीटीएम, मैट्रो रेलवे, मैट्रो रेल भवन, 33/1, जे एल नेहरू रोड, कोलकाता-71.

*****